अपील सूचना अधिकार संख्या 56/2019 (RCMS 2019/00163) श्री गुरचरण सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह निवासी डी—9 अम्बिका सिटी, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं 94143—28016) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.09.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरचरण सिंह स्वयं उपस्थित हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष दिनांक 27.05.2019 को सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाई जाने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरचरण सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> श्रीमती जसप्रीत पत्नी स्व. डा. जोगेन्द्र सिंह द्वारा सतर्कता समिति, श्रीगंगानगर में दिये गये प्रार्थना पत्र, जो आपको सचिव, सतर्कता समिति द्वारा क्रमांक एफ1(14)सतर्कता(1621)( )(2017) 33126 दिनांक 15.03.2017 द्वारा भेजा गया था, उसकी पालना में आप द्वारा क्रमांक 6645 आपके कार्यालय की दिनांक 18.09.2017 को जो भी रिपोर्ट भेजी गई है उसकी नकल।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्रांक सू.का.अ./2019/3220 दिनांक 20.09.2019 से अवगत करवाया है कि उनके कार्यालय के पत्रांक 2509 दिनांक 07.06.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई पत्रांक/सर्तकता/2017/6545 दिनांक 18.09.2019 की प्रति इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है। प्रमाणित प्रति की नकल हेतु निर्धारित कोर्ट जमा कर न्यायालय से नकल प्राप्त की जा सकती है।
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> पदमपुर

चूंकि **लोक सूचना अधिकारी** द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचित किया है कि वह वांछित सूचनाओं हेतु निर्धारित कोर्ट फीस जमा कर सूचना प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी निर्धारित निश्चित फीस के बारे में अपीलार्थी को सूचित करें कि वह नियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। **अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर